

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

(कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य प्रभाग)

फोन: 0651-2400981, फ़ैक्स:0651-2400982, ई-मेल: govjharkhandtourism@gmail.com

प्रेषक:

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
राँची।

राँची, दिनांक 22.02.2022

विषय:-

राँची जिलान्तर्गत ओरमांझी प्रखण्ड अंतर्गत अमर शहीदों के शहादत स्थल का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु रू० 15,00,000/- (पन्द्रह लाख) मात्र निधि का आवंटन।

प्रसंग -

विभागीय प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-48/रा०, दिनांक 23.12.2021 एवं शुद्धि पत्रांक-52/रा०, दिनांक- 05.01.2022


उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आदेश के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के योजना बजट मुख्य शीर्ष 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- उप मुख्य शीर्ष-04-कला तथा संस्कृति- लघु शीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- उपशीर्ष -12- सांस्कृतिक भवनों एवं संग्रहालय का निर्माण, सुरक्षा और रख-रखाव तथा पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण एवं रख-रखाव- विस्तृत शीर्ष-05- निर्माण- प्राथमिक इकाई- 45- निर्माण कार्य इकाई मद में उपबंधित राशि से रू० 15,00,000/- (पन्द्रह लाख) मात्र निधि आवंटित की जाती है। (विपत्र कोड: 52S42020479612000545)

क्र०	आवंटित किये जाने वाले पदा० का पदनाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वर्तमान आवंटित राशि (राशि रू० में)
1	उपायुक्त, राँची	राँची जिलान्तर्गत ओरमांझी प्रखण्ड अंतर्गत अमर शहीदों के शहादत स्थल का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य	2,44,15,000/-	15,00,000/-
		कुल	2,44,15,000/-	15,00,000/-

(पन्द्रह लाख) रुपये मात्र।

- राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त, राँची होंगे जो इस योजना का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र (व्यय विवरणी सहित) अधोहस्ताक्षरी को ससमय उपलब्ध करायेंगे।
- योजना का कार्यान्वयन ससमय पूर्ण कराया जायेगा ताकि पुनरीक्षण की आवश्यकता न पड़े।

4. योजना का कार्यान्वयन के क्रम में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. राशि की निकासी जिला कोषागार, राँची से की जायगी।



22/2/2022

सरकार के सचिव

राँची, दिनांक: 22.02.2022

ज्ञापांक :- 90/आ.

प्रतिलिपि:- निदेशक, संस्कृति, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची/मा० विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आ०वि०स०/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


22/2/2022

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव